भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3631
उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

सरकारी विद्यालयों एवं केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी

†3631. **श्री यूसुफ पठान**:
क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में सरकारी विद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की बढ़ती कमी एवं रिक्तियों से अवगत है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों एवं संकाय सदस्यों के स्वीकृत तथा रिक्त पदों का संस्थान-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का उक्त रिक्तियों को भरने हेतु कोई विशेष भर्ती अभियान चलाने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) देश में छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का एक विषय होने के कारण, देश के अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। तदनुसार, शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक क्षेत्र में आती है। राज्य-वार विवरण सहित सरकारी स्कूलों में संस्वीकृत शिक्षण पदों, रिक्त शिक्षण पदों और नियोजित गेस्ट/संविदा शिक्षकों से संबंधित डेटा का अनुरक्षण संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है।

यूडाइज़+ 2025-26 के अनुसार, देश भर के सरकारी स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

शिक्षकों की भर्ती संबंधित राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा उनके भर्ती नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार की जाने वाली एक सतत प्रक्रिया है। सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, नए पदों के सृजन और नए स्कूलों की स्थापना के परिणामस्वरूप छात्र नामांकन में वृद्धि जैसे कारकों के कारण समय-समय पर रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। ऐसी रिक्तियों को भरने की समय-सीमा भी संबंधित राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा निर्धारित की जाती है।

केन्द्र सरकार अपनी ओर से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर सलाह देती है कि वे स्वायत्त शिक्षक भर्ती बोर्डों अथवा इसी प्रकार के संगठनों सहित पारदर्शी और योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरें। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निरंतरता और निष्पक्षता का ध्यान रखते हुए और तकनीक आधारित व्यापक शिक्षक संबंधी आवश्यकता योजना तथा पूर्वानुमान प्रक्रिया के बाद प्रतियोगी चयन के माध्यम से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने संबंधी प्रगति की समीक्षा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर आवधिक रूप से की जाती है।

केंद्र सरकार, समय-समय पर संशोधित नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उचित छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की बड़ी संख्या वाले क्षेत्रों में प्रत्येक स्कूल में 30:1 से कम और 25:1 से कम छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने पर बल दिया गया है। यूडाइज़+ 2025-26 के अनुसार, राष्ट्रीय पीटीआर बुनियादी स्तर पर 10, प्रारंभिक स्तर पर 12, मध्य स्तर पर 17 और माध्यमिक स्तर पर 21 है।

शिक्षा मंत्रालय के अधीन उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के संबंध में, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों सहित केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थाएं (सीएचआई) संसद के संबंधित केन्द्रीय अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित सांविधिक स्वायत्त संगठन हैं और इसके अंतर्गत बनाए गए अधिनियमों, संविधियों और विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होते हैं। संकाय भर्ती संबंधित संस्थानों द्वारा उनके अधिनियमों और विनियमों के अनुसार की जाती है, और भर्ती शक्तियां उनके संबंधित शासी बोर्ड, कार्यकारी समिति या प्रबंधन बोर्ड के पास निहित होती हैं। पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, नए संस्थानों, योजनाओं या परियोजनाओं के खुलने तथा छात्र संख्या और संस्थागत क्षमता के विस्तार के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती हैं।

संकाय रिक्तियों को भरने हेतु, मंत्रालय ने समय-समय पर सभी केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए विशेष अभियान सहित मिशन मोड भर्ती अभियान चलाने की सलाह दी है। अगस्त, 2021 में, शिक्षा मंत्रालय के तहत सभी सीएचआई से अनुरोध किया गया था कि वे अपने संस्थानों में बैकलॉग रिक्तियों को मिशन मोड में भरने के लिए विशेष अभियान चलाएं। सीएचईआई ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सहित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया। सितंबर 2022 में, शिक्षा मंत्रालय ने भी सभी सीएचईआई को मिशन मोड में रिक्तियों को भरने के लिए प्रोत्साहित किया था। अक्टूबर 2025 में, सभी सीएचईआई से फिर से मिशन मोड में सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरने का अनुरोध किया गया है। सितंबर 2022 से, सीयू, आईआईटी और एनआईटी सहित सभी सीएचईआई ने रिक्तियों को भरने के लिए मिशन मोड भर्ती अभियान शुरू किया है। दिनांक 23.05.2026 (अर्थात् पिछले रोजगार मेले की तारीख) तक, मिशन मोड में 18757 संकाय पदों सहित सभी सीएचईआई द्वारा कुल 32114 पदों को भरा गया है।

केन्द्रीय वित्तपोषित उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में गुणवत्तायुक्त संकायों को आकर्षित करने के लिए उपाय किए गए हैं जिनमें वर्ष भर खुले विज्ञापन, खोज-सह-चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से भर्ती, विशेष भर्ती अभियान, मिशन मोड में भर्ती और पूर्व छात्रों/वैज्ञानिकों/संकाय को आमंत्रित करना आदि शामिल हैं। सीएचईआई द्वारा बहु-चरणीय और मजबूत स्क्रीनिंग प्रक्रिया के भाग के रूप में पारदर्शी तरीके से आवेदन आमंत्रित करके संकाय भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाती है। विभिन्न संस्थाओं के अधिनियमों और संविधियों में चयन समितियों की संरचना, संकाय के विभिन्न स्तरों की भर्ती के लिए उत्तरदायी प्राधिकारियों, स्वतंत्र विषय विशेषज्ञों और विजिटर नामितियों आदि की व्यवस्था विनिर्दिष्ट की गई है ताकि भर्तियों में पारदर्शिता और शैक्षिक कठोरता सुनिश्चित की जा सके। यूजीसी ने संकाय भर्ती के लिए एक सामान्य पोर्टल 'सीयू-चयन' लॉन्च किया है, जो सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों/विज्ञापनों/नौकरियों को सूचीबद्ध करने का प्रावधान करता है, इस प्रकार पूरी भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाता है।

स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, एनईपी 2020 में अनुभवात्मक अधिगम, कला-एकीकृत और खेल एकीकृत शिक्षा, कहानी-सुनाने आधारित शिक्षाशास्त्र, कौशल शिक्षा के एकीकरण, शिक्षकों के पूर्व-सेवा और सेवा-कालीन प्रशिक्षण आदि की गुणवत्ता बढ़ाने आदि पर बल दिया गया है।

न्यायसंगत आधार पर स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित प्रमुख पहलें की गई हैं:

i. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित 5+3+3+4 पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना के तहत 3-18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) और बुनियादी स्तर हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एफएस) तैयार की गई है।
ii. एनईपी 2020 और पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार, पाठ्यपुस्तकें तैयार की गई है जो प्रारंभिक वर्षों से लेकर माध्यमिक तक खेल-आधारित, बहु-विषयक और अनुभवात्मक शिक्षा पर बल देती हैं। पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त, अधिगम के विविध क्षेत्रों में छात्रों और शिक्षकों की सहायता हेतु विशेष मॉड्यूल, अनुपूरक अधिगम सामग्री और शिक्षकों की पुस्तिकाएं जैसे अभिनव शैक्षणिक संसाधन लगातार तैयार किए जा रहे हैं।
iii. राष्ट्रीय पठन दक्षता और संख्याज्ञान पहल (निपुण भारत) को समग्र शिक्षा के तहत शुरू किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश के प्रत्येक बच्चे को कक्षा 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान (एफएलएन) प्राप्त हो सकें, और इसके लिए ई-सामग्री दीक्षा मंच पर जारी की गई है।
iv. विद्या प्रवेश कक्षा-1 के बच्चों के लिए तीन माह का खेल-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल हेतु दिशानिर्देश दिनांक 29 जुलाई, 2021 को जारी किए गए हैं ताकि कक्षा-1 में सभी बच्चों को उत्तेजक और स्वागत योग्य वातावरण मिलें। जादूई पिटारा और ई-जादुई पिटारा, खेल आधारित संवादात्मक अधिगम संसाधन भी तैयार किए गए हैं।
v. शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों/प्राचार्यों और शैक्षिक प्रबंधन में अन्य हितधारकों के लिए स्कूल शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए निष्ठा एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0 शुरू किया गया है।
vi. शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा प्रणाली की स्थिति के संकेतक के रूप में बच्चों की प्रगति और अधिगम दक्षताओं का मूल्यांकन करने और विभिन्न स्तरों पर सुधारात्मक कार्यों के लिए

उचित कदम उठाने के लिए दिनांक 4 दिसंबर, 2024 को परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 किया गया है।

vii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रेड देने के लिए एक 73 संकेतक-आधारित मैट्रिक्स प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) तैयार किया गया है। जिला स्तरीय प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) तैयार किए गए हैं और पीजीआई-जिला संकलन के लिए एक वेब एप्लिकेशन तैयार किया गया है।

केंद्र सरकार विभिन्न मध्यवर्तनों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और अधिगम परिणामों में सुधार करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है। योजना मानदंडों के अनुसार आरटीई के तहत अधिकारों, समग्र स्कूल अनुदान, पुस्तकालय अनुदान, खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए अनुदान, छात्र आकलन, डिजिटल मध्यवर्तनों, कौशल शिक्षा, एससीईआरटी और डीआईईटी जैसे शिक्षक शिक्षा संस्थानों का सुदृढीकरण, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, दीक्षा के लिए सहायता, बीआरसी/सीआरसी के माध्यम से शैक्षणिक सहायता आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। सुधारात्मक शिक्षण, ब्रिज पाठ्यक्रम और अधिगम संवर्धन कार्यक्रमों के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

माननीय संसद सदस्य श्री यूसुफ पठान द्वारा "सरकारी विद्यालयों एवं केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी" के संबंध में दिनांक 10.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3631 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षक (2025-26)

राज्य	तैनात शिक्षक			
	कुल	**मूलभूत +प्रारंभिक**	**मिडल**	**माध्यमिक**
भारत	**51,34,623**	**17,54,291**	**15,32,001**	**18,48,331**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4,758	877	799	3,082
आंध्र प्रदेश	2,01,125	74,616	7,254	1,19,255
अरुणाचल प्रदेश	16,288	3,001	6,576	6,711
असम	2,16,716	95,731	40,479	80,506
बिहार	5,36,061	1,64,481	2,42,606	1,28,974
चंडीगढ़	5,518	43	284	5,191
छत्तीसगढ	1,86,139	74,645	53,452	58,042
दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	3,264	546	1,656	1,062
दिल्ली	83,384	18,287	319	64,778
गोवा	3,805	1,997	321	1,487
गुजरात	1,94,679	27,386	1,53,108	14,185
हरियाणा	1,00,969	32,256	10,378	58,335
हिमाचल प्रदेश	66,267	19,080	5,243	41,944
जम्मू एवं कश्मीर	91,569	18,748	38,988	33,833
झारखंड	1,16,372	35,945	45,188	35,239
कर्नाटक	1,93,644	34,830	95,197	63,617
केरल	82,601	16,294	15,626	50,681
लद्दाख	5,289	734	2,426	2,129
लक्षद्वीप	729	179	192	358
मध्य प्रदेश	3,99,970	1,28,006	1,22,807	1,49,157
महाराष्ट्र	2,23,687	91,352	1,08,297	24,038
मणिपुर	16,970	6,615	2,944	7,411
मेघालय	20,297	9,964	7,587	2,746
मिजोरम	14,239	5,378	5,560	3,301
नागालैंड	18,195	5,791	5,968	6,436
ओडिशा	2,13,165	60,916	78,991	73,258
पुदुचेरी	4,959	1,513	551	2,895

राज्य	तैनात शिक्षक			
	कुल	**मूलभूत +प्रारंभिक**	**मिडल**	**माध्यमिक**
पंजाब	1,22,813	51,471	8,217	63,125
राजस्थान	4,41,070	63,341	1,16,481	2,61,248
सिक्किम	10,933	2,038	2,220	6,675
तमिलनाडु	2,21,451	56,778	47,102	1,17,571
तेलंगाना	1,56,178	43,867	14,336	97,975
त्रिपुरा	26,881	4,862	5,840	16,179
उत्तर प्रदेश	6,27,124	3,40,103	2,59,477	27,544
उत्तराखंड	59,401	22,738	7,270	29,393
पश्चिम बंगाल	4,48,113	2,39,882	18,261	1,89,970

स्रोत: यूडाइज+ 2025-26